# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 1/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/8

**अनवान**

1. रूकमणदेवी पुत्री मूला माली पत्नि पन्नालाल निवारी नान्दशा हाल नि.आशाहोली तहसील रायपुर

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. सोहनीदेवी पत्नि घीसू माली निवासी नान्दशा हाल नि.कुम्हार मौहल्ला दौलतगढ़ तहसील आसीन्द
2. ममतादेवी पुत्री घीसू माली नाबालिग जरिए प्राकृतिक सरंक्षक माता सोहनीदेवी पत्नि घीसू माली निवासी नान्दशा हाल नि.कुम्हार मौहल्ला दौलतगढ़ तहसील आसीन्द
3. गौतम पिता घीसू माली नाबालिक जरिए प्राकृतिक सरंक्षक माता सोहनीदेवी पत्नि घीसू माली निवासी नान्दशा हाल नि.कुम्हार मौहल्ला दौलतगढ़ तहसील आसीन्द
4. मांगू पिता नारू माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पिता नारू माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पारस पिता नारू माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बंशी पिता नारू माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नाथी पुत्री नारू माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अमरा पिता गिरधारी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भैरू पिता गिरधारी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सुखकंवर पत्नि महावीर सिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. राजू लाल नायक – अधिवक्ता प्रार्थी
2. अमर सिंह चारण – अधिवक्ता विपक्षी 1, 2, 3
3. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता विपक्षी 4, 7, 8, 10
4. विपक्षी संख्या 5, 6, 9, 11 एकपक्षीय

## निर्णय

दिनांकः– 13/4/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीया व विपक्षीगण एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। जिनका पारिवारिक सजरा वादपत्र के साथ संलग्न है।
2. ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण तक की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि निम्न साबिक आराजियात स्थित है –

| क.स. | खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 233 | 2 बीघा 17 बिस्वा |
| 2 | 117 | 234 | 15 बिस्वा |

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
अधिकारी रायपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 117 | 235 | 1 बीघा 8 बिस्वा |
| 4 | 117 | 236 | 2 बीघा 1 बिस्वा |
| 5 | 117 | 237 | 8 बिस्वा |
| 6 | 117 | 238 | 3 बीघा 9 बिस्वा |
| 7 | 117 | 239 | 1 बिस्वा 7 बिस्वा |
| 8 | 117 | 302 | 19 बिस्वा |
| 9 | 117 | 369 | 2 बीघा 13 बिस्वा |
| 10 | 117 | 370 | 3 बीघा 6 बिस्वा |
| 11 | 117 | 371 | 6 बिस्वा |
| 12 | 117 | 372 | 2 बीघा |
| 13 | 117 | 373 | 1 बीघा 5 बिस्वा |
| 14 | 117 | 378 | 2 बीघा 8 बिस्वा |
| | कुल किता कुल रकबा | 14 | 24 बीघा 17 बिस्वा |
| 15 | 271 | 367/5 | 10 बीघा 19 बिस्वा |

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2011 से 2012 एवं संवत 2032 से 2035 तक प्रस्तुत की है।

3. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में अंकित सजरे अनुसार गंगाराम पिता मोती माली के चार पुत्र रत्ता, दयाराम, गिरधारी और मूला हुए थे, प्रार्थीया गंगाराम आत्मज मोतीजी माली की पौत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है जिससे उक्त साबिक आराजियात मे से प्रार्थीया का जन्म से ही अधिकार निहित है। कलम संख्या 3 में अंकित साबिक आराजियात के रकबे में प्रार्थीया का 1/8 हक व हिस्सा जन्म से निहित है। प्रार्थीया अपने हिस्से अनुसार उक्त साबिक आराजियात के रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रही है जिससे प्रार्थीया अपने उक्त हिस्से को खातेदारी अधिकारों को घोषणा करवा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

4. वादग्रस्त उपरोक्त आराजियात के सेटलमेंट होने के साबिक आराजियात के निम्न नवीन नम्बर कायम किए गए –

| क.स. | आराजी संख्या | रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 721 | 0.10 |
| 2 | 720 | 0.04 |
| 3 | 722 | 0.12 |
| 4 | 725 | 0.16 |
| 5 | 726 | 0.19 |
| 6 | 707 | 0.16 |
| 7 | 719 | 0.09 |
| 8 | 723 | 0.06 |
| 9 | 724 | 0.08 |
| 10 | 727 | 0.08 |
| 11 | 718 | 0.09 |
| 12 | 717 | 0.08 |
| 13 | 715 | 0.06 |
| 14 | 711 | 0.03 |
| 15 | 704 | 0.22 |
| 16 | 705 | 0.13 |
| 17 | 706 | 0.04 |
| 18 | 708 | 0.14 |
| 19 | 709 | 0.22 |
| 20 | 799 | 0.21 |
| 21 | 1338 | 0.11 |
| 22 | 1339 | 0.11 |
| 23 | 1337 | 0.14 |

सहायक कलक्टर

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 1340 | 0.13 |
| 25 | 1336 | 0.08 |
| 26 | 1326 | 0.14 |
| 27 | 1329 | 0.14 |
| 28 | 1328 | 0.29 |
| 29 | 1327 | 0.14 |
| 30 | 1325 | 0.07 |
| 31 | 1316 | 0.27 |
| 32 | 1308 | 0.06 |
| 33 | 1305 | 0.21 |
| 34 | 1310 | 0.17 |
| 35 | 1320 | 0.22 |
| 36 | 1344 | 0.27 |
| 37 | 1311 | 0.16 |
| 38 | 1350 | 0.22 |
| 39 | 1351 | 0.22 |
| 40 | 1306 | 0.22 |
| 41 | 1314 | 0.42 |
| 42 | 1315 | 0.05 |
| 43 | 1319 | 0.05 |
| 44 | 1335 | 0.23 |
| 45 | 716 | 0.21 |
| 46 | 1312 | 0.33 |
| 47 | 1317 | 0.28 |
| 48 | 1318 | 0.02 |
| 49 | 709 | 0.22 |
| 50 | 1341 | 0.43 |
| 51 | 1342 | 0.23 |
| 52 | 1334 | 0.50 |
| | कुल किता कुल रकबा – 52 | 8.19 |

5. वादग्रस्त आराजियात तन्हा रूप से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड होने का नाजायज लाभ उठाकर रकबा 0.2750 है0 भूमि को विपक्षी संख्या 11 को बेचान कर प्रार्थीया के जायज हक से वंचित करने की नियत से वादग्रस्त आराजियात को रहन,बय,बक्षीस करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितांत आवश्यक हो गया है।
6. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 में अंकित नवीन आराजियात कुल किता 52 कुल रकबा 8.19 है0 भूमि को किसी अन्य को रहन, बंधक, बक्षीस, स्थानान्तरण, न तो स्वयं करे और न ही ऐसा अपने नौकर ऐजेंट इत्यादी से करावे और साथ ही वादग्रस्त आराजियात पर किसी प्रकार से निर्माण न तो स्वयं करे और न ही ऐसा अपने नौकर ऐजेंट से इत्यादी से करावे।
7. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता अमरसिंह उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 4, 7, 8, 10 की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद उपस्थित विपक्षी संख्या 5, 6, 9, 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.03.2026 को की गई तथा विपक्षी संख्या 12 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

8. विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है।
9. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में दस्तावेज सूची में सजरा पेश किया गया है। मूला वादिया के पिता है। गंगाराम वादिया के दादा है। वादग्रस्त आराजियात गंगाराम के नाम दर्ज रेकार्ड थी विरासत से रत्ता, गिरधारी, मूला, दयाराम के नाम भूमि दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 ने सजरा माना है। वादग्रस्त भूमि का बेचान हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 11 को 0.27 है0 भूमि का बेचान हुआ है। वादग्रस्त आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने पर प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजियात का आगे और बेचान होगा जिससे प्रार्थीया का हित प्रभावित होगा। प्रार्थीया का हित प्रभावित नही हो इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अतिआवश्यक है।
10. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा पेश मूल दावा ही अनुरक्षणीय नही है। वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचन में सजरा नही दर्शाया गया है। सजरा अलग से दस्तावेज सूची के साथ पेश किया है जो प्रमाणित नही है ना ही सजरे पर पक्षकारों के हस्ताक्षर है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में तीसरी पीढ़ी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया के भाई नैनुराम, माता जम्मु फोत हुई तब विरासत कैसे दर्ज हुई इसका कोई उल्लेख नही किया गया है। वादग्रस्त आराजियात विरासत से घीसु के फौत होने पर तीसरी पीढ़ी के नाम दर्ज हुई, तब तक घोषणा का कोई वाद पेश नही किया गया। वादग्रस्त आराजियात का खातेदारों द्वारा जायज जरूरत के आधार पर बैचान किया गया है। अप्रार्थीगण वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात के खातेदार है जिसके विरूद्ध बिना कब्जा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कुछ खसरो पर पहले से निर्माण है और आबादी के पास है। अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में देखे जाने वाले तीन बिन्दुओं को प्रार्थीया ने साबित नही किया है। वादपत्र में पेश सजरा किसी के द्वारा प्रमाणित नही किया गया है। दस्तावेज सूची के साथ संलग्न दस्तावेजो को गवाही द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रमाणित कराए जाने पर ही वह ग्राह्य होते है। प्रार्थीया द्वारा माता, पिता, भाई, भतीजे के जीवित रहते कोई वाद नही दायर करवाया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिए जाने पर वादग्रस्त आराजियात के रेकॉर्डेड खातेदार को राजकीय लाभ नही मिल पायेंगे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाए।
11. विपक्षी अधिवक्ता की बहक के प्रत्युत्तर में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 15 में सजरा बताया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा वादिया से रिश्ता स्वीकार किया गया है। आराजियात के बैचान से प्रार्थीया को पहले ही अपूर्णीय क्षति हो चुकी है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।
12. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादवर्णित आराजियात के मूल खातेदार गंगाराम थे जिसे प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अपने दादा बताया है। सूची पत्र में सलंग्न सजरे पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है एवं सजरा प्रमाणित नही है। सजरे को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 ने

सहायक कलक्टर

स्वीकार किया है एवं इस सजरे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 प्रार्थीया के भाई के वारीसान होकर प्रार्थीया के दूसरी व तीसरी पीढ़ी के सीधे सम्बन्धी है। प्रार्थीया के पिता मूला थे। अतः प्रार्थीया का हक हिस्सा उसके पिता मूला के हक हिस्से मे से आता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में रोटेशन की जमाबन्दीयों में प्रार्थीया के पिता नाम पर कितनी भूमि अंकित की गई इसका विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है। प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन हो जाने के पश्चात स्वतंत्र राजस्व खाते कायम कर दिया जाना स्पष्ट होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 में अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजियात का सहमति से विभाजन होकर 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि नेनु पिता मूला के नाम अभिलिखित हुई। आगामी जमाबन्दी रोटेशन के अनुसार जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 146 में अंकित आराजियात विपक्षी संख्या 1, 2, 3 व घीसू पिता नेनु, संतोष पुत्री नेनु के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा बताये गये सजरे के अनुसार नेनु प्रार्थीया का भाई तथा घीसु, संतोष प्रार्थीया के भतीजा, भतीजी लगते है। इस प्रकार संतोष का प्रार्थीया से सीधा सम्बन्ध होने तथा नेनु के हिस्से की आराजियात में संतोष का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित होने पर भी उसे पक्षकार संयोजित नही किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 827 दिनांक 07.10.1977 को विरासत से मूला के बजाय नेनु पिता मूला के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज होने हेतु स्वीकृत हुई। प्रार्थीया द्वारा उक्त नामान्तरण के पश्चात् वादग्रस्त आराजियात में अपने हक हिस्से हेतु कोई कार्यवाही नही की गई।

इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात गंगाराम से उसके पुत्रो जिनमें मूला एक पुत्र था के नाम दर्ज हुई। मूला की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र नेनु के नाम दर्ज हुई। इसके पश्चात् वादग्रस्त आराजियात का विभाजन होकर सभी खातेदारों एवं नेनु का स्वतंत्र खाता कायम किया गया। मूल वाद के निस्तारण पर यदि प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजियात में हक हिस्सा साबित होता है तो भी वह उसके पिता मूला के हक हिस्से मे से निर्धारित होगा। अतः प्राथम दृष्टयता मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नही होता है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आरायिजात पर रेकॉडेर्ड खातेदरों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है तथा सुविधा सन्तुलन भी विपक्षीगण के पक्ष मे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –:: **आदेश** ::–

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् भलिभांति साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकरण में पूर्व में जारी सभी आदेश इस आदेश से प्रतिरथापित किए जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा